



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन विभाग), "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून -248001 (उत्तराखण्ड) दूरभाष-0135-2530584 फैक्स-0135-2531646
 Dy. General Manager (Human Resource), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun -248001 (Uttarakhand) Phone -0135-2530584 Fax -
 0135-2531646

CIN No.U40101UR2001SGC025866

ISO 9001,14001 Certified

कार्यालयज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापनसंख्या 2/यूजेवीएनएल/05/निदेशक मा०सं०/उमप्र (औ०सं०)/एम-1 दिनांक 07.01.2020के अनुक्रम में आरोग्यधाम सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 6^{न्यू} रोड, नियर दून हॉस्पिटल, देहरादून को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्तकार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युतपरिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्तकार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रितपत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाह्यरोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2023 तक 02 (दो) वर्ष के लिये मान्यता विस्तारित कीजाती है।

- उक्तचिकित्सालय संलग्न दर सूची सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (Central Government Health Scheme, Dehradun 2014) (Updated on 04th May 2021) (NABH/NABL Rates)में दर्शाई गई दरों पर सम्बन्धितकर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। सी०जी०एच०एस०, देहरादून की दर सूची आदेश निर्गमन की दिनांक से दिनांक 31.12.2023तक की अवधि हेतु मान्य होगी एवं दिनांक 01.01.2022 से आदेश निर्गमन तक कीअवधि से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण चिकित्सालय की पूर्व दरसूची के अनुसार किये जायेंगे।
- चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओं के अनुपालन नकरने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :-
 - मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सादरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।
 - किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायतआने या शिकायत का समाधान न होने पर।
 - दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलितकिये जाने पर।
 - अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारादण्डित किये जाने पर।
 - अस्पताल के विरुद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही याअसहयोग की शिकायत आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालयप्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवंउपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नान ज्यूडीशियलस्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। (प्रारूप संलग्न)

उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें एवंप्रतिबन्ध यथावत रहेगे।

निदेशक(मा०सं०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निजी सचिव,अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- निजीसचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- निदेशक(परिचालन)/ (परियोजनाए)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- अधिशासीनिदेशक (जानपद)/ (वि०/या०)/ (ओ०एण्डएम०)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएनलिमिटेड देहरादून को निगम की वेबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
- कम्पनी सचिव, यूजेवीएनलिमिटेड, देहरादून।
- उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- चिकित्साधिकारी, मुख्यालययमुना भवन, देहरादून।

12. डा०विपुल कण्डवाल, आरोग्यधाम सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 6 न्यू रोड,नियर दून हॉस्पिटल, देहरादून।
13. अध्यक्ष/महामंत्रीसमस्त यूनियन/एसोसिएशन।

(राजेश चन्द)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)